रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241500 CG-DL-E-29122022-241500

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811] No. 811] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सं. 65/2022-सीमाश्लक

सा.का.नि. 909(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा: -

8762 GI/2022 (1)

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, सा.का.नि. 733 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक "2023" के स्थान पर, अंक "2024" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2.	49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक "2023" के स्थान पर, अंक "2024" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/227/2022-टीओ(टीआरयू-I)]

विक्रम विजय वनेरे, अवर सचिव

नोट:-

- 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.िन. 733(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 46/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022, सा.का.िन. 676(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.िन. 734(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 46/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022, सा.का.िन. 676(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022 No. 65/2022-Customs

G.S.R. 909(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	48/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 733(E), dated the 13 th October, 2021	In the said notification, in paragraph 2, for the figure "2023", the figure "2024" shall be substituted;
2.	49/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 734(E), dated the 13 th October, 2021	In the said notification, in paragraph 2, for the figure "2023", the figure "2024" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/227/2022-TO(TRU-I)] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No. 48/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 733(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 46/2022-Customs, dated the 31st August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 31st August, 2022.
- 2. The principal notification No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 46/2022-Customs, dated the 31st August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 31st August, 2022.